(I) कर-नियोजन
(Tax-planning)

प्रारम्भिक (Preliminary)—

"बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय। काम बिगारे आपना जग में होत हँसाय।" श्री गिरधर कविराय का यह उपदेश प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तराधिकारी को देता है। सदियों से यही समझाया गया है कि कुछ करने से पूर्व खूब सोच-विचार करना चाहिए। बिना सोच-विचार के किये गये कार्य का अपेक्षित फल प्राप्त नहीं होता और अन्ततः पछताना पड़ता है। सोच-विचार की इस पुरानी मान्यता को नवीन परिवेश में **'नियोजन'** (Planning) कहा जाता है। वर्तमान सदी में एक व्यक्ति के आर्थिक जीवन में ही नहीं बल्कि एक समाज एवं एक राष्ट्र के आर्थिक जीवन में भी 'नियोजन' का अति महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक व्यक्ति एवं प्रत्येक राष्ट्र के समग्र विकास के लिए 'नियोजन' एक आधारभूत तत्त्व माना जाता है। इसीलिए वर्तमान युग **'नियोजन का युग'** (Era of planning) कहलाता है। प्रत्येक राष्ट्र अपना आर्थिक विकास पंचवर्षीय या सप्तवर्षीय योजनायें बनाकर करता है। विकसित (Developed) अथवा विकासशील (Developing) राष्ट्रों के लिए **'आर्थिक नियोजन'** (Economic planning) उनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन चुका है। जिस प्रकार एक राष्ट्र के समग्र विकास के लिए 'नियोजन' एक परम आवश्यक तत्त्व है; उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के समग्र विकास के लिए नियोजन परम आवश्यक है।

वर्तमान युग में प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख सबसे अधिक जटिल समस्या करारोपण (taxation) **की है।** व्यक्ति की सभी भावी योजनायें इस बात पर निर्भर करती हैं कि कर के बाद की उसकी आय क्या है ? क्योंकि कर चुकाने के बाद बचने वाली आय पर ही उसका अधिकार होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने आय-कर दायित्त्व को कम कर देता है तो इसका आशय है कि वह अपनी वास्तविक आय में वृद्धि कर लेता है, अतः कहा जाता है कि, **'कर की बचत धन का अर्जन है'** (Tax saved is money earned)। **'कर'** एक व्यक्ति के जीवन का ऐसा अनिवार्य एवं अपरिहार्य अंग बन गया है जैसे कि मृत्यु। प्रसिद्ध लेखक **जॉर्ज बर्नार्ड शॉ** ने कहा है, **'मृत्यु एवं कर दोनों अपरिहार्य हैं, किन्तु मृत्यु कम-से-कम अधिक बुरी नहीं होती'** (Both death and taxes are inevitable, but at least death doesn't get worse)। स्पष्ट है कि 'कर' मृत्यु से भी अधिक दुःखदायी एवं कष्टप्रद है।

कर-नियोजन का अर्थ
(Meaning of tax planning)

प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य अपने कर-दायित्त्व एवं कर-भार को न्यूनतम करना होता है ताकि करारोपण के बाद बचने वाली उसकी आय अधिकतम हो सके। किन्तु ऐसा करते समय वह कोई अनैतिक या अवैधानिक कार्य भी नहीं करना चाहता। ऐसा वह कर-नियोजन अपनाकर ही कर सकता है। वह अपनी समस्त आयों, व्ययों एवं विनियोगों की ऐसी व्यवस्था करना चाहता है जिससे कि उसका कर-दायित्त्व न्यूनतम हो तथा कर के बाद की उसकी आय अधिकतम हो। ऐसा करने के लिए उसे कर कानूनों का गहन अध्ययन करके उनमें उपलब्ध छूटों, राहतों एवं प्रेरणाओं की जानकारी रखनी होगी तभी वह कर-नियोजन कर सकता है। **प्रोफेसर डाल्टन** के अनुसार, **"कर-नियोजन सरकार की नीतियों के अनुरूप ईमानदारी से कार्य करते हुए कर छूटों एवं कर प्रेरणाओं का लाभ उठाते हुए कर-दायित्त्व को न्यूनतम करने का वैज्ञानिक तरीका है।"**

संक्षेप में, कर-नियोजन को निम्न सरल शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है, **"कर-नियोजन किसी व्यक्ति की आयों, व्ययों एवं विनियोगों की ऐसी विधि सम्मत व्यवस्था है जिससे उसका कर-दायित्त्व न्यूनतम हो तथा कर के बाद की उसकी आय अधिकतम।"**

कर-नियोजन के आवश्यक तत्त्व या विशेषतायें
(Essential elements or characteristics of tax planning)

कर-नियोजन के आवश्यक तत्त्व या विशेषतायें निम्नलिखित हैं:—

(1) **कर-नियोजन विधि सम्मत है** (Tax planning is legally recognised)—कर-नियोजन इस प्रकार से किया जाता है, जिससे वर्तमान कर-कानूनों का उल्लंघन न हो। कर कानूनों का उल्लंघन आपराधिक कृत्य है और उसके लिए करदाता को दण्डित किया जा सकता है। अत: कर-भार में कमी करने के लिए कर नियोजन इस प्रकार से किया जाना चाहिए, जिससे किसी अधिनियम की व्यवस्थाओं का उल्लंघन न हो। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके यदि आय में वृद्धि की जाती है, तो ऐसी आय **'काला धन'** कहलाता है। **'काला धन'** या **'अवैध आय'** पकड़े जाने पर सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाता है।

(2) **आयों, व्ययों एवं विनियोगों का नियोजन** (Planning in connection with income, expenditures and investments)—कुछ आयें पूर्ण कर-मुक्त तथा कुछ आंशिक कर-मुक्त होती हैं, जबकि कुछ आयें पूर्णत: कर-योग्य होती हैं। कुछ आयों के सम्बन्ध में छूट मिलती है, यदि ये किसी विशेष क्षेत्र या समयावधि में लगे उद्योग से प्राप्त हों। अत: करदाता अपना कर-भार कम रखने के लिए अधिकाधिक कर-मुक्त या आंशिक कर-मुक्त आयों को प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। वह अपने धन का विनियोजन ऐसे क्षेत्र या स्रोतों में करेगा, जिनसे प्राप्त आय या तो पूर्णत: कर-मुक्त हो अथवा आंशिक कर-मुक्त।

इसी प्रकार, **व्यय** करते समय भी वह ध्यान रखेगा कि व्यय करते समय वे सभी औपचारिकतायें या प्रावधान पूरे हों, जिससे व्ययों को पूर्ण कटौती मिल सके। व्यय केवल उन्हीं मदों पर किये जायें, जिन पर कटौती स्वीकृत है, ताकि सभी व्ययों को पूर्ण कटौती मिल सके।

विनियोगों का नियोजन इस प्रकार किया जाय कि उनसे प्राप्त आय पर कम आय-कर लगे या आय-कर न लगे। करदाता प्रेरणादायक योजनाओं में विनियोग करके आय-कर से छूट प्राप्त कर सकता है।

(3) **कर-नियोजन नैतिक है** (Tax pianning is moral)—कर-नियोजन नैतिक एवं उचित होता है, क्योंकि इसमें अधिनियम की सम्मति होती है। कर-नियोजन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किये बिना किया जाता है, अत: इसे कानून, समाज एवं राष्ट्र की मान्यता प्राप्त होती है। कर-नियोजन को अनैतिक या बुरा नहीं माना जाता। इसके विपरीत जो कर-नियोजन द्वारा अधिकाधिक कर की बचत करता है, उसे बुद्धिमान कहा जाता है। कर-नियोजन पूर्णत: वैधानिक होता है।

(4) **कर-नियोजन सरकारी नीतियों के अनुरूप होता है** (Tax planning is in accordance with Government policy)—सरकार की नीतियाँ कर-नियोजन को प्रोत्साहित करती हैं। सरकार अधिनियम में तथा विभिन्न परिपत्रों, अधिसूचनाओं एवं घोषणाओं द्वारा समय-समय पर ऐसे व्ययों या विनियोगों के बारे में घोषणा करती है जिससे करदाता अपने कर-भार को न्यूनतम कर सके। जैसे—आय-कर अधिनियम, 1961 की **धारा 86** के अनुसार यदि किसी व्यक्तियों के समुदाय (Association of persons) या व्यक्तियों के निकाय (Body of individuals) *i.e.*, AOP or BOI ने अपनी आय पर कर चुकाया है, तो इनके सदस्यों के कर-निर्धारण के समय उनकी आय में सम्मिलित AOP या BOI की आय के भाग पर आय-कर की छूट प्रदान की जाती है, ताकि किसी आय पर दोहरा करारोपण न हो। इसी प्रकार, अधिनियम की धाराएँ 80-IA, 80-IB, 80-IC, 80-ID एवं 80-IE आदि के अन्तर्गत निश्चित अवधि में स्थापित निश्चित उद्योगों की आय को भी कर-मुक्ति मिलेगी। ऐसी कर-मुक्ति निश्चित क्षेत्र या उद्योग के विकास के लिए प्रदान की जाती है। अत: कर-नियोजन सरकारी नीतियों के अनुरूप ही होता है।

(5) **कर-नियोजन से कर-दायित्त्व में कमी तथा कर के बाद की आय में वृद्धि होती है** (Tax planning reduces tax-liability and increases after-tax income)—कर-नियोजन का प्रमुख उद्देश्य कर-दायित्व को न्यूनतम रखना होता है। जब करदाता का कर-दायित्त्व न्यूनतम होगा, तो निश्चित रूप से उसकी वास्तविक आय (सकल आय – कर-दायित्त्व) अधिकतम होगी। कर नियोजन कर की बचत के लिए ही किया जाता है। कर की बचत का आशय आय की वृद्धि भी है। अत: कहा जाता है कि 'कर की बचत आय का अर्जन है' (Tax saved is money earned)।

(6) **कर-नियोजन का आधार** (Basis of tax planning)—कर-नियोजन का मुख्य आधार आय-कर अधिनियम में प्रदत्त छूटें, कटौतियाँ एवं कर राहतें हैं। करदाता द्वारा अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट विनियोग या व्यय करने पर उसे आय-कर में बचत या छूट प्राप्त हो जाती है। ये छूटें, कटौतियाँ एवं प्रोत्साहन ही कर-नियोजन के लिए प्रेरणा एवं आधार होती हैं। इनके द्वारा करदाता अपना कर-दायित्त्व कम कर लेता है।

(7) **कर-नियोजन एक सतत् प्रक्रिया है** (Tax planning is a continuous process)—कर-नियोजन नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष के लिए किया जाता है। किसी एक ही वर्ष कर-नियोजन कर लेने से कर-नियोजन नहीं हो जाता। हाँ, कुछ विनियोग ऐसे होते हैं, जिनमें एक बार विनियोजन करने से दीर्घकाल तक कर की बचत होती रहती है, किन्तु अधिकांश कर छूटें, राहतें एवं कर बचतें ऐसी हैं जिन्हें प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक्-पृथक् रूप से नियोजित करना पड़ता है, तभी कर-भार में कमी आती है। कहने

का तात्पर्य यह है कि कर-नियोजन प्रत्येक वर्ष के लिए किया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है जो निरन्तर चलती है तभी इसका लाभ होता है।

(8) **कर-नियोजन वैज्ञानिक है** (Tax planning is scientific)—कर-नियोजन एक वैज्ञानिक तकनीक है। कर-नियोजन तभी किया जा सकता है जबकि करदाता को अधिनियम में प्रदत्त विभिन्न छूटों, राहतों, कटौतियों एवं कर बचतों की गहन जानकारी हो। विभिन्न छूटों, कटौतियों, प्रोत्साहनों एवं कर-राहतों का तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण करके करदाता यह निश्चित करता है कि वह कर-नियोजन किस प्रकार करे जिससे उसे इन छूटों, कटौतियों एवं राहतों का अधिकतम लाभ मिल सके। इसके लिए वह गहन अध्ययन, तुलना एवं विश्लेषण करता है। यह बौद्धिक कार्य है, अत: कर-नियोजन की सफलता या विफलता करदाता की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करती है।

कर-नियोजन के स्वरूप (Forms of tax planning)—

कर-नियोजन के विभिन्न स्वरूप होते हैं, जोकि निम्न हैं:—

(i) बचत करके कर-नियोजन करना,

(ii) निवास-स्थान के आधार पर कर-नियोजन,

(iii) कुछ निर्दिष्ट विनियोग करके कर-नियोजन करना,

(iv) आय के प्रत्येक मद के सम्बन्ध में कर-नियोजन,

(v) आय प्राप्ति की तिथियों में परिवर्तन करके कर-नियोजन,

(vi) विशेष क्षेत्रों या अवधि में उद्योग स्थापित करके कर-नियोजन,

(vii) व्यापार के संगठन के स्वरूप (कम्पनी, फर्म या अन्य) में परिवर्तन करके कर-नियोजन। किसी व्यापार को कम्पनी के रूप में संचालित करने पर अनेक छूटें एवं कटौति प्राप्त होती हैं। अत: वृहद् व्यापार का संचालन कम्पनी के रूप में किया जाता है।

कर-नियोजन के उद्देश्य
(Objective of tax-planning)

कर-नियोजन एक बौद्धिक कार्य है जिसका प्रमुख उद्देश्य एक करदाता के लिए उसके कर-दायित्त्व को न्यूनतम करना है। **संक्षेप में, कर-नियोजन के निम्न प्रमुख उद्देश्य हैं:—**

(1) **कर-दायित्त्व में कमी** (Reduction in tax-liability)—कर-नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य करदाता के कर-दायित्त्व में कमी करना है। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिश्रम से अर्जित आय का अधिक से अधिक भाग स्वयं अपने पास रखना चाहता है, किन्तु भारत के कर-कानून उसकी आय के अधिकांश भाग को उससे छीन लेते हैं। भारी करारोपण से बचने के लिए करदाता या तो कर चोरी करता है अथवा कर-नियोजन। कर-चोरी आपराधिक कार्य है, अत: प्रत्येक करदाता कर-नियोजन द्वारा ही भारी करारोपण से बचना चाहता है। इस प्रकार, कर-नियोजन करदाता को भारी करारोपण से बचाने का एक वैधानिक एवं नैतिक उपाय है। यही कर-नियोजन का प्रमुख उद्देश्य भी है।

(2) **मुकदमेबाजी में न्यूनता लाना** (Minimisation of litigation)—एक करदाता अपनी आय पर कम-से-कम कर देना चाहता है जबकि आय-कर प्राधिकारी उससे अधिक-से-अधिक कर वसूलना चाहते हैं। कभी-कभी अति उत्साही कर-निर्धारण अधिकारी अत्यधिक कर लगा भी देते हैं। इसके परिणामस्वरूप करदाता को न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में न्यायालय में मुकदमों की भरमार हो जाती है जो करदाता एवं राष्ट्र दोनों के लिए हानिप्रद है। इस फिजूल की मुकदमेबाजी से बचने के लिए करदाता कर कानूनों के अनुरूप इस प्रकार से कर-नियोजन करता है जिससे कि फिजूल की मुकदमेबाजी के लिए कोई मार्ग ही नहीं रहे। आय-कर अधिनियम की धारा 158-A का सृजन भी इसी उद्देश्य को लेकर किया गया है। इस धारा के अन्तर्गत पुन: अपील के अधिकार को सीमित कर दिया गया है।

(3) **उत्पादक विनियोग** (Productive investment)—कर-नियोजन एक ऐसा उपाय है जिससे करदाताओं में कर-कानूनों की पेचीदगी समझने के लिए जागरूकता उत्पन्न होती है तथा आय कमाने वाले में ऐसा आर्थिक ज्ञान उत्पन्न होता है जिससे वह अपनी आय ऐसे उत्पादक विनियोगों में विनियोजित करता है जिससे उसको दीर्घ अवधि तक आय हो तथा कम-से-कम कर-भार पड़े। सरकार कर बचत के लिए अनेक ऐसे विनियोगों की घोषणा करती है जिनमें रुपया विनियोजित करने पर एक ओर तो विनियोजक को कर में कटौती मिलती है तथा दूसरी ओर सरकार को राष्ट्रीय विकास हेतु उपयुक्त धन की प्राप्ति भी हो जाती है। जनता की आय छोटी-छोटी बचतों के रूप में एकत्रित होकर राष्ट्रीय विकास में योगदान देती है और पूँजी निर्माण में सहयोग करती है। इस प्रकार, कर-नियोजन का राष्ट्रीय उद्देश्य उत्पादक विनियोगों में जनता का धन एकत्रित करना तथा जनता को ऐसे विनियोगों में धन लगाने हेतु प्रेरित करना है।

(4) **अर्थव्यवस्था का स्वस्थ विकास** (Healthy growth of economy)—किसी भी राष्ट्र का स्वस्थ आर्थिक विकास तभी सम्भव है जबकि उसके निवासी अपनी अर्जित आय की बचत को राष्ट्र के विकास में लगायें। निवासियों की बचत राष्ट्र के विकास में तभी लगती है जबकि उन्होंने वैधानिक रूप से ही आय-कर चुकाकर बचत की है। कर-दायित्वों का निर्वाह किये बगैर की गई बचत 'काला धन' (Black Money) मानी जाती है और उसे राष्ट्र के विकास में नहीं लगाया जाता बल्कि ऐसे कार्यों में लगाया जाता है जिससे राष्ट्र का स्वस्थ आर्थिक विकास नहीं होता अपितु देश में कुछ आर्थिक अपराध एवं विकृतियाँ, जैसे—जमाखोरी, रिश्वत, महँगाई, लाभखोरी, तस्करी आदि बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि करदाता अपनी आय का अधिक-से-अधिक भाग अपने पास रखना चाहता है। यदि कर-नियोजन द्वारा कर-दायित्व को न्यूनतम कर लिया जाय तो भी करदाता अपनी आय का अधिकतम भाग अपने पास रख सकेगा। किन्तु उस दशा में वह उस आय की बचत को राष्ट्र की उपयोगी योजनाओं में विनियोजित करके स्वस्थ आर्थिक विकास में अपना योगदान देगा। ऐसी दशा में **'काली अर्थव्यवस्था'** (Black economy) नहीं बल्कि **'उजली अर्थव्यवस्था'** (White economy) होगी जो राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करके राष्ट्र का समुचित विकास करेगी। कर-नियोजन इस उद्देश्य की पूर्ति करने का एक सरल एवं एकमात्र उपाय है।

(5) **आर्थिक स्थिरता** (Economic stability)—समुचित कर-नियोजन द्वारा वैधानिक रूप से देय कर का नियमित रूप से भुगतान किया जाता है। सरकार द्वारा घोषित प्रेरणाओं का लाभ उठाया जाता है तथा उन विनियोगों एवं क्षेत्रों में धन लगाया जाता है जिससे करदाता पर लगने वाला कर-दायित्व न्यूनतम हो। इस प्रकार कर-नियोजन होने से देश की विभिन्न योजनाओं में नियमित रूप से जनता का धन लगता है जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक स्थिरता, सम्पन्नता एवं विकास की निरन्तरता बनी रहती है। इसमें एक ओर करदाता का कर-दायित्व न्यूनतम होने से उसकी सम्पन्नता बढ़ती है, परिणामतः उसकी माँग बढ़ती है जो विकासशील अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए अति आवश्यक तत्त्व है। दूसरी ओर, सरकारी योजनाओं एवं उद्योगों को धन की उपलब्धता की निरन्तरता बनी रहती है जिससे विकास क्रम में कोई अवरोध या गतिरोध उत्पन्न नहीं होता और अन्ततः देश में आर्थिक स्थिरता उत्पन्न हो जाती है।

कर-नियोजन के प्रकार
(Types of tax-planning)

कर-नियोजन का प्रमुख उद्देश्य कर-दायित्व में कमी करना है, साथ-ही-साथ बचत करना भी है। इस प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार से कर-नियोजन किया जाता है जो कि निम्न प्रकार है:—

(1) **अल्पकालिक कर-नियोजन** (Short-term tax planning)—जब कर-नियोजन केवल चालू वर्ष को ही ध्यान देते हुए किया जाता है, उसे अल्पकालिक कर-नियोजन कहा जाता है। ऐसे कर-नियोजन के लिए करदाता गत वर्ष में ऐसी योजनाओं में विनियोग करता है जिससे कर-निर्धारण वर्ष का उसका कर-दायित्व न्यूनतम हो सके। वेतन भोगी करदाता, अल्प आय वर्ग के करदाता, अनियमित आय वाले करदाता आदि इस प्रकार का कर-नियोजन करते हैं।

(2) **दीर्घकालिक कर-नियोजन** (Long-term tax planning)—जब कर-नियोजन भविष्य को ध्यान देते हुए किया जाये तो इसे दीर्घकालिक कर-नियोजन कहा जाता है। इस प्रकार के कर-नियोजन के लिए करदाता ऐसी योजनाओं में धन विनियोजित करता है जिससे उसका भावी कर-दायित्व भी कम हो सके। विनियोग करते समय करदाता केवल वर्तमान कर-निर्धारण वर्ष के कर-दायित्व को कम करने का विचार नहीं रखता बल्कि भविष्य में भी ऐसे विनियोग से उत्पन्न आय के सम्बन्ध में उत्पन्न कर-दायित्व को कम करने का विचार भी रखता है। सामान्यतः, व्यापार या पेशे से आय वाले करदाता तथा ऐसा करदाता, जिनकी आय भविष्य में बढ़ने की सम्भावना है, दीर्घकालिक कर-नियोजन अपनाते हैं। अतः आय एवं विनियोग की ऐसी व्यवस्था, जिससे करदाता का भावी कर-भार न्यूनतम रहे, दीर्घकालिक कर-नियोजन है।

(3) **विनियोग कर-नियोजन** (Investment tax-planning)—विनियोग कर-नियोजन से तात्पर्य ऐसी विनियोग व्यवस्था से है जिसके द्वारा विनियोग से प्राप्त आय (ब्याज, लाभांश आदि) के सम्बन्ध में न्यूनतम कर-दायित्व उत्पन्न हो। अतः ऐसी प्रतिभूतियों या कोषों में विनियोग करना, जिनसे प्राप्त आय या तो पूर्णतया कर-मुक्त है अथवा उसको कुछ कटौती मिलती है, विनियोग कर-नियोजन कहलाता है। करदाता द्वारा विभिन्न विनियोगों में से ऐसे विकल्प चुनना जिससे विनियोग से प्राप्त आय के सम्बन्ध में उसका कर-दायित्व न्यूनतम रहे, विनियोग कर-नियोजन के अन्तर्गत आता है। विनियोग कर-नियोजन उन करदाताओं द्वारा अपनाया जाता है जिनके पास अतिरिक्त धनराशि है, जिसे वे विनियोजित करना चाहते हैं एवं जिनकी नियमित आय बढ़ने वाली प्रकृति की है तथा जिनका कोई ऐसा व्यापार या पेशा नहीं है जिसमें वे अपनी इस अतिरिक्त धनराशि या आय का लाभदायक विनियोग कर सकते हैं।

(4) **संगठनात्मक कर-नियोजन** (Organisational tax-planning)—करदाता द्वारा अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए ऐसे स्वरूप का निर्धारण करना जिसके अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अनुमानित लाभों पर लगने वाला कर न्यूनतम हो। व्यापार के कई स्वरूप हो सकते हैं, जैसे—एकाकी व्यापार, साझेदारी फर्म, हिन्दू अविभाजित परिवार, कम्पनी, सहकारी समिति, व्यक्तियों का

समुदाय, आदि। करदाता इन स्वरूपों में से ऐसा स्वरूप चयन करेगा, जिससे उसका कर-दायित्व कम-से-कम हो और अर्जित लाभों के अधिक से अधिक भाग का वह उपभोग कर सके। कर-दायित्व को न्यूनतम रखने के उद्देश्य से संगठन के उचित प्रारूप का चुनाव करना ही संगठनात्मक कर-नियोजन कहलाता है।

(5) **सम्पत्ति कर-नियोजन** (Estate tax-planning)—आय-कर दायित्व न्यूनतम रखने के लिए कर-नियोजन अपनाया जाता है। करदाता अपनी सम्पत्तियों की व्यवस्था इस प्रकार से करता है कि जिससे उसका सम्पत्तियों से प्राप्त आय पर लगने वाला आय-कर दायित्व न्यूनतम हो सके। इस हेतु वह अपनी सम्पत्तियों का हस्तान्तरण उक्त उद्देश्यों को ध्यान देते हुए ही करेगा। वह अधिक आय वाली सम्पत्ति का हस्तान्तरण ऐसे व्यक्ति के हित में करेगा, जिसकी आय या तो शून्य है अथवा न्यूनतम है। इसी प्रकार, वह कम आय वाली सम्पत्तियों को अपने पास रखेगा या ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में हस्तान्तरित करेगा, जिसकी आय अधिक है। धन-कर दायित्व से बचने के लिए वह अधिक मूल्य की सम्पत्तियों का हस्तान्तरण ऐसे व्यक्ति के पक्ष में करेगा जिसके पास पूर्व सम्पत्ति एवं हस्तान्तरित सम्पत्ति मिलाकर कर-दायित्व न्यूनतम रहे। सम्पत्ति कर-नियोजन अपनाने के लिए आय-कर अधिनियम, के प्रावधानों की विस्तृत एवं गहन जानकारी लेना आवश्यक है।